संचिका संख्या–01 / स्था०राज०–300 / 2024 1230

बिहार सरकार

गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
अवर सचिव।

सेवा में,

वित्त (वै०दा०वि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 25 जून, 2026

विषयः– **श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर) सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक–31.03.2025) का दिनांक–08.07.2024 से 01.09.2024 तक कुल–56 (छप्पन) दिनों का सेवा विनियमन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कृषि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2539 दिनांक–29.06.2024 द्वारा श्री अरविन्द कुमार, बिहार कृषि सेवा कोटि–1(शष्य), वर्ग–2 की सेवा गन्ना उद्योग विभाग में प्राप्त हुई। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री कुमार द्वारा दिनांक–08.07.2024 के पूर्वाह्न में गन्ना उद्योग विभाग में पदस्थापन हेतु योगदान समर्पित किया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या–625 दिनांक–31.07.2024 द्वारा श्री कुमार को उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर) के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में उक्त अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु जाने के क्रम मे अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण इनके द्वारा दिनांक–02.08.2024 को डॉक्टर से ईलाज कराया गया। चिकित्सकीय परामर्श के आलोक में श्री कुमार दिनांक–01.09.2024 तक बेड रेस्ट में रहे।

इस प्रकार श्री कुमार दिनांक–08.07.2024 से दिनांक–31.07.2024 तक प्रभार रहित अवधि में पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे हैं तथा दिनांक–01.08.2024 से 01.09.2024 तक चिकित्सकीय अवकाश में रहे हैं।

बिहार सेवा संहिता के नियम–234 के अन्तर्गत डॉक्टर की पुर्जा के आधार पर चिकित्सा अवकाश को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–2946 दिनांक–05.05.2026 के अनुसार श्री कुमार के जिम्मे कुल–33 (तैंतीस) दिनों का रूपांतरित अवकाश संचित है।

अतएव वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–10128 दिनांक–26.12.2003 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम–234 के आलोक में श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर) सम्प्रति सेवानिवृत्त के दिनांक–08.07.2024 से दिनांक–01.09.2024 तक 56 दिनों के प्रभार रहित अवधि को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है :–

(i) दिनांक–08.07.2024 से 01.08.2024 तक 25 दिन पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में

(ii) दिनांक–02.08.2024 से 01.09.2024 तक 31 दिन चिकित्सकीय अवकाश को बिहार सेवा संहिता के नियम–234 के आलोक में रूपांतरित अवकाश के रूप में

2. उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की सहमति तथा सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Rage 25/06/26.
अवर सचिव।

ज्ञापांक संख्या–01/स्था०राज०–300/2024 1230 /पटना, दिनांक– 25 जून, 2026

प्रतिलिपि– जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rage 25/06/26.
अवर सचिव।

ज्ञापांक संख्या–01/स्था०राज०–300/2024 1230 /पटना, दिनांक– 25 जून, 2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर)/उप निदेशक (कृ०अभि०) भूमि संरक्षण, अरवल/विभागीय लेखा शाखा श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन उप निदेशक, ईख विकास, पूसा (समस्तीपुर) सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता– ग्राम– नगहर, डाकघर– विक्रम, थाना– विक्रम, जिला– पटना, पिन कोड–801104 को सूचनार्थ/श्रीमती शालीनता रानी, आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rage 25/06/26.
अवर सचिव।